"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 263] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 19 जुलाई 2018 — आषाढ़ 28, शक 1940

सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-4/2010/1-13. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सूचना आयोग (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. प्रस्तावना में, शब्द "सूचना" के पूर्व तथा शब्द "छत्तीसगढ़" के पश्चात्, शब्द "राज्य" अंत:स्थापित किया जाये।
2. नियम 1 में, उप-नियम (1) में, शब्द "सूचना" के पूर्व तथा शब्द "छत्तीसगढ़" के पश्चात्, शब्द "राज्य" अंत:स्थापित किया जाये।
3. नियम 2 में, खंड (झ) में, शब्द "सूचना" के पूर्व तथा शब्द "छत्तीसगढ़" के पश्चात्, शब्द "राज्य" अंत:स्थापित किया जाये।
4. अनुसूची-एक, दो एवं तीन के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सचिव	01	प्रथम श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-17	
2.	उप सचिव	01	प्रथम श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-14	
3.	अवर सचिव	01	प्रथम श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-13	
4.	स्टॉफ ऑफिसर	03	प्रथम श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-13	
5.	विधि अधिकारी	01	प्रथम श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स लेवल-12	

6.	लेखाधिकारी	01	द्वितीय श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स लेवल–12	
7.	जनसंपर्क अधिकारी	01	द्वितीय श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स लेवल–12	
8.	अनुभाग अधिकारी	01	द्वितीय श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स लेवल–10	
9.	निज सचिव	02	द्वितीय श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स लेवल–10	

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिये)

स. क्र.	पद/सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं के व्यक्तियों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सचिव	01	–	–	100%	भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सुपर टाईम स्केल) संवर्ग के अधिकारी से प्रतिनियुक्ति द्वारा या इसी संवर्ग के सेवानिवृत्त अधिकारी से संविदा आधार पर पद भरे जायेंगे।
2.	उप सचिव	01	–	100%	–	पदोन्नति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की दशा में, प्रतिनियुक्ति

						द्वारा/संविदा आधार पर पद भरे जायेंगे।
3.	अवर सचिव	01	—	100%	—	पदोन्नति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की दशा में, प्रतिनियुक्ति द्वारा/संविदा आधार पर पद भरे जायेंगे।
4.	स्टॉफ ऑफिसर	03	—	100%	—	पदोन्नति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की दशा में, प्रतिनियुक्ति द्वारा/संविदा आधार पर पद भरे जायेंगे।
5.	विधि अधिकारी	01	—	—	100%	प्रतिनियुक्ति द्वारा/संविदा आधार पर।
6.	लेखाधिकारी	01	—	—	100%	छत्तीसगढ़ वित्त सेवा के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा पद भरे जायेंगे। उपयुक्त अधिकारियों की अनुपलब्धता की दशा में, संविदा आधार पर पद भरे जायेंगे।
7.	जनसंपर्क अधिकारी	01	—	—	100%	छत्तीसगढ़ जनसंपर्क संचालनालय के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा/संविदा आधार पर पद भरे जायेंगे।

8.	अनुभाग अधिकारी	01	—	100%	—	पदोन्नति द्वारा पद भरे जायेंगे। आयोग में उपयुक्त अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की दशा में, प्रतिनियुक्ति द्वारा/संविदा आधार पर पद भरे जायेंगे।
9.	निज संचिव	02	—	100%	—	पदोन्नति द्वारा पद भरे जायेंगे। पदोन्नति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की दशा में, प्रतिनियुक्ति द्वारा/संविदा आधार पर पद भरे जायेंगे।

अनुसूची—तीन
(नियम 8 देखिये)

स. क्र.	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	अनुभव की न्यूनतम कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अवर सचिव	उप सचिव	5 वर्ष	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, अध्यक्ष एवं उसके द्वारा नामांकित सदस्य।	

2.	अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	–तदैव–	–तदैव–	
3.	निज सचिव	स्टॉफ ऑफिसर	–तदैव–	–तदैव–	
4.	सहायक ग्रेड–एक	अनुभाग अधिकारी	–तदैव–	–तदैव–	
5.	निज सहायक	निज सचिव	–तदैव–	–तदैव–	

टीपः चयन समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के किसी सदस्य की अनुपलब्धता की दशा में, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, अन्य विभागों/कार्यालयों से इन वर्गों के किसी एक सदस्य को नामांकित करेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2018

क्रमांक एफ 1-4/2010/1-13.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-4/2010/1-13, दिनांक 19-07-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर-सचिव.

Naya Raipur, the 19th July 2018

NOTIFICATION

No. F 1-4/2010/1-13. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Information Commission (Gazetted) Service Recruitment and Promotion Rules, 2015, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In preamble, before the word "information" and after the word "Chhattisgarh", the word "State" shall be inserted.

2. In rule 1, in sub-rule (1), before the word "information" and after the word "Chhattisgarh", the word "State" shall be inserted.

3. In rule 2, in clause (i), before the word "information" and after the word "Chhattisgarh", the word "State" shall be inserted.

4. For Schedule-I, II and III, the following shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE - I
(See rule 5)

S. No.	Name of post included in the service	Total Number of posts	Classification	Pay Matrix	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Secretary	01	Class – I	Pay Matrix Level-17	

2.	Deputy Secretary	01	Class – I	Pay Matrix Level-14	
3.	Under Secretary	01	Class – I	Pay Matrix Level-13	
4.	Staff Officer	03	Class – I	Pay Matrix Level-13	
5.	Law Officer	01	Class-I	Pay Matrix Level-12	
6.	Accounts Officer	01	Class – II	Pay Matrix Level-12	
7.	Public Relation Officer	01	Class – II	Pay Matrix Level-12	
8.	Section Officer	01	Class – II	Pay Matrix Level-10	
9.	Personal Secretary	02	Class-II	Pay Matrix Level-10	

SCHEDULE - II
(See rule 6)

S. No.	Name of post/ service	Total Number of duty Post	Percentage of number of posts to be filled in			Remark
			By direct recruitment	By promotion of member of the service	By deputation or transfer of persons of other service	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Secretary	01	-	-	100%	The post is to be filled from Super time scale cadre officer of Indian Administrative Services by deputation or retired officer from the same cadre on contract basis.
2.	Deputy Secretary	01	-	100%	-	In case of non availability of suitable candidate for promotion, post shall be

						filled by Deputation / on contract basis.
3.	Under Secretary	01	-	*100%*	-	In case of non availability of suitable candidate for promotion, post shall be filled by Deputation / on contract basis.
4.	Staff Officer	03	-	100%	-	In case of non-availability of suitable candidate for promotion, posts shall filled by Deputation/ on Contract basis.
5.	Law Officer	01	-	-	100%	By deputation/on contract basis.
6.	Accounts Officer	01	-	-	100%	Post shall be filled by deputation from officers of Chhattisgarh Finance Services. In case of non availability of suitable officers, post shall be filled on contract basis.
7.	Public Relation Officer	01	-	-	100%	Post shall be filled by the officers of Chhattisgarh Directorate of Public Relation by Deputation/on contract basis.
8.	Section Officer	01	-	100%	-	Post shall be filled by promotion. In case of non- availability of suitable candidate in Commission, the post shall be filled by Deputation/on contract basis.
9.	Personal Secretary	02	-	100%	-	Posts shall be filled by promotion. In case of non- availability of suitable candidate for promotion, the posts shall be filled by Deputation/on contract basis

SCHEDULE - III

(See rule 8)

S. No.	**Name of service or post from which promotion to be made**	**Name of service or post to which promotion is to be made**	**Minimum period of experience**	**Departmental Promotion Committee**	**Remarks**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Under Secretary	Deputy Secretary	5 years	The State Chief Information Commissioner, Chairman and Members to be nominated by him.	
2.	Section Officer	Under Secretary	---do---	---do---	
3.	Private Secretary	Staff Officer	---do---	---do---	
4.	Assistant Grade-I	Section Officer	---do---	---do---	
5.	Personal Assistant	Personal Secretary	---do---	---do---	

Note: In case of non-availability of any member of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in the Selection Committee, the State Chief Information Commissioner shall nominate any one member of these classes from other departments/offices."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Additional Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.